राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 308 /28/76/एक/2018–19 दिनांक : 27 अप्रैल 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–**कानपुर देहात।**

विषय : **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**आईएफएससी कोड**	**धनराशि**
बैंक आफ बड़ौदा	30700100005611	IFSC Code BARB0MATIXX	75.438

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु0न0अ0वि0 व म0ब0वि0 योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	कानपुर देहात	म0ब0–83	न0पं0 अकबरपुर	वार्ड न0 10 मिलकिनपुरवा में हाइवे से विपिन शुक्ल के घर तक 50 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	3.497
2	कानपुर देहात	म0ब0–83	न0पं0 अकबरपुर	वार्ड न0 06 मातीकिशनपुर में हाईवे रोड कैलाश पासवान के घर के पास से छोटे शर्मा के घर तक 100 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	3.488
3	कानपुर देहात	म0ब0–83	न0पं0 अकबरपुर	वार्ड न0 06 टकटौली में लालाराम कुशवाहा के घर से रंजीत कुशवाहा के घर तक 100 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	5.592
4	कानपुर देहात	म0ब0–83	न0पं0 अकबरपुर	वार्ड न0 12 रामपुरा में रिंकू मिश्र के घर से रूकमणी देवी शिक्षा निकेतन तक 100 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	7.126
5	कानपुर देहात	म0ब0–83	न0पं0 अकबरपुर	वार्ड नं0 03 कृपापल पुर बंजारनडेरा में नागर के घर से गोरे के घर से होकर विवेक सिंह के घर तक 100 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	7.602
6	कानपुर देहात	म0ब0–83	न0पं0 अकबरपुर	वार्ड 03 तिवारीपुरवा में बाबू संखवार के घर से उमाकान्त शुक्ल के घर से होकर विवेक सिंह के घर तक 100 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	4.053
7	कानपुर देहात	म0ब0–83	न0पं0 अकबरपुर	वार्ड न0 10 मिलकिनपुरवा में माती रोड राजस्व कॉलोनी के सामने से होकर सुधीर द्विवेदी के घर तक 130 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	6.370
8	कानपुर देहात	म0ब0–83	न0पं0 अकबरपुर	वार्ड 01 धरऊ मेन रोड से रामबाबू कुशवाहा के घर तक 150 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	6.419
9	कानपुर देहात	म0ब0–83	न0पं0 अकबरपुर	वार्ड नं0 12 जमालपुर द्वितीय में मेन डामर रोड से दुलारे नायक के घर तक 100 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	4.048

4712

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 'SUDA'
7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु0न0अ0वि0 व म0ब0वि0 योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
10	कानपुर देहात	म0ब0–83	न0पं0 अकबरपुर	वार्ड 01 बाढ़ापुर में मून्नू सिंह के दरवाजे से मन्दिर रामदरबार तक 100 मी0 इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.740
11	कानपुर देहात	म0ब0–83	न0पं0 अकबरपुर	वार्ड नं0 10 केशवनगर में पाल जी की दुकान से आशुतोष दीक्षित के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	3.483
12	कानपुर देहात	म0ब0–83	न0पं0 अकबरपुर	वार्ड नं0 13 लोहिया नगर में बिल्हौर रोड से मैदा मील के पीछे तक इण्टरलॉकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	3.483
13	कानपुर देहात	म0ब0–83	न0पं0 अकबरपुर	वार्ड नं0 3 रहीम नगर में बिल्हौर रोड से छक्कीलाल से महफूज के मिल एवं कब्रिस्तान तक इण्टरलॉकिंग रोड का कार्य।	9.925
14	कानपुर देहात	म0ब0–83	न0पं0 अकबरपुर	वार्ड नं0 12 आदानगर में लल्लन खां के मकान से हलीम के मकान तक एवं रामबाबू के मकान से प्रकाश के मकान तक एवं पंकज कुशवाहा के मकान से सरीफ के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	3.479
15	कानपुर देहात	म0ब0–83	न0पं0 अकबरपुर	वार्ड नं0 03 शास्त्री नगर में छुट्टन तिवारी के मकान से विशम्भर बाथम के मकान तक एवं दिनेश कुशवाहा के मकान से नरेश के खेत तक इण्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	4.133
	योग				75.438

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

SUDA

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि0 अधि0, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यकम अधिकारी, सूडा।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक